न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं0–एम० पी० 12 / 2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–145

रिदई महतो वगैरह.....प्रथम पक्ष।

बनाम

रोपा बाला देवी वगैरह.....द्वितीय पक्ष।

तिथि	आदेश	3
1	2	

26 / 03 / 2022

प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन के आलोक में निम्न भूमि पर उभय पक्षों में शांतिभंग होने की संभावना को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस र्निंत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–माहिल, थाना–सोनाहातु, थाना संख्या–05, खेंवट संख्या–6 / 8

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	चौहदी
157	807	38 डी०	उ०–लेका महतो द०–विश्वनाथ महतो पू०–सुबल महतो प०–जीत माहन महतो

द्वितीय पक्ष का परिपोषनियता आवेदन

वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन का कुल रकवा–38 डीसमील है। परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा विवादित जमीन के संबंध में ही एक अन्य मुकदमा संख्या एम. पी.14 / 2018 दायर किया गया है। जिसमें विपक्षी बनवारी महतो को बनाया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा कुल रकवा दोनों वादों को मिलाकर 76 डीसमील पर किया गया है। जो न्याय संगत नहीं है। वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने पक्ष में अपने आवेदन में उल्लेख किये है कि विवादित जमीन आर. एस. खतियान में कीडु महतो के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है। यह है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 बी. के तहत अनुमति के बिना भूमि बिक्री / हस्तानांतरण कानूनन अवैध वो अमान्य है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का शांति पूर्वक दखलकार चला आ रहा है।

पूरा नाम .....

द्वितीय पक्ष जबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। उन्होंने द्वितीय पक्ष के आवेदन को ... करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश

द्वितीय पक्ष के परिपोषनियता आवेदन पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, अंचल प्रतिवेदन एवं दाखिल किये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत जमीन पर ही एक अन्य मुकदमा संख्या–एम. पी. 14/2018 भी दायर किया गया है। जबकि विवादित प्लॉट का संपूर्ण रकवा–38 डीसमील ही है और प्रथम पक्ष के द्वारा दो अन्य–अन्य केस में विवादित प्लॉट संख्या में रकवा 38 डीसमील, 38 डीसमील करके मुकदमा दायर किया गया है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही को प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है। अतः वाद को बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किये समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/03

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

26/03

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:34:17 +05:30
Location: 10.93.79.10

सचिव

पूरा नाम ....